


certified copy of correction slip of M.C NO-326/16-77 order dated-06.08.16  
 रकम में निहित इस्टेटों के अधिकारियों (रैयतों) का नामान्तरण (दाखिल-खारिज) दिखाने वाला शुद्ध पत्र

जिला- देवर अंमण्डल- देवर अंचल- देवर हल्का- 11D इस्टेट का नाम- जारदा

क्रमांक	नामान्तरण क्रम संख्या 1 (पंजी 27 में)	गाँव	धाना और याता संख्या	नामान्तरण से सम्बन्धित अभिव्यक्ति की संख्या	नामान्तरण मंजूर करने वाला अधिकारी और आदेश की तारीख	नामान्तरण किस कारण से होना है- विक्री, दान, विनिमय, अनुसंधान या बंधना हुआ है ?	नामान्तरण से प्रभावित विनियम का पुरा न्यौरा	कर्मचारी द्वारा हल्का पंजी किस तारीख को शुद्ध की गयी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	226 20/0-17	झाँसी	देवर 582	J.D. 603, 614 T.P. 509 रकम 2112 कोमी	अंमण्डल अधिकारी देवर कादेश दिनांक 06.08.16	विक्री	पूर्व जमा रकम- रामनंदन सिंह - XII-156 ज.0 नं०- 603, 614 दाय नं०- T-P-509 कुल रकम- 0-2-15 1/2 तारान- 10-00 नई होसिंग से दर्ज किये जानेवाले रैयत का नाम- श्री मनीष कुंजराव पित्त - धारदा का पित्त/पति- सिद्धेदिता कुंजराव पति - श्री मनीष कुंजराव पित्त- 810-681A नवी कामि सिंह इस्टेट, सतलुजा के लिए उपाय कागज नं०- 3, साकरी, जयपुर दाखिल-खारिज की जानेवाली प्रतीक का रकम- 2112 कोमी वार्षिक खर्चा- 9-00 + 6-00 = 15-00 अलायें सेस बंधनीय। हल्का कर्मचारी आदेश का अनुपालन करें।		



प्रतिलिपि :- कर्मचारी, ह० स०... की जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाती है।

नकल किया 24.8.16  
 मिलान किया 24.8.16

सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि  
 24.8.16  
 प्रधान सहायक  
 अंचल कार्यालय, देवर  
 1872 के अधिनियम 1 की धारा  
 76 के अन्तर अधिकृत।

अंचल अधिकारी,  
 देवर।

ATTESTED  
 24.8.16